संख्या-13/112/30-3-15-24बी/2012

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 19 जनवरी, 2015

विषय- संभागीय परिवहन कार्यालय, सहारनपुर, गाजियाबाद तथा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बाराबंकी के पूर्व निर्मित भवन में निर्माणाधीन रिकार्ड रूम की अवशेष धनराशि/द्वितीय किस्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2063ए/2014-226ए/2011, दिनॉक 29-08-2014 एवं पत्र संख्या-2182ए/2014-226ए/2011, दिनॉक 12-09-2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संभागीय परिवहन कार्यालय, सहारनपुर, गाजियाबाद तथा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बाराबंकी के पूर्व निर्मित भवन में अभिलेखों के रख-रखाव हेतु अतिरिक्त रिकार्ड रूम के निर्माण के लिये शासनादेश संख्या-1344/30-3-13-24बी/ 2012, दिनॉक 21-06-2013 द्वारा रू0 105.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में लगभग 50 प्रतिशत धनराशि रू0 52.74 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त शासनादेश द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय, सहारनपुर, गाजियाबाद तथा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बाराबंकी के पूर्व निर्मित भवन में अतिरिक्त रिकार्ड रूम के निर्माण के लिये स्वीकृत एवं अवमुक्त लगभग 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिये जाने के उपरांत प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा निर्माण कार्य के संतोषजनक होने की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में इस हेतु उपलब्ध धनराशि रू0 35.06 लाख के सापेक्ष (संभागीय परिवहन कार्यालय, गाजियाबाद की अनुमोदित लागत से धनराशि रू0 1000/- को कम करके) अवशेष लगभग 50 प्रतिशत धनराशि/द्वितीय किस्त निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किस्त के रूप में निर्गत 50 प्रतिशत धनराशि (रू0 लाख में)	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1	संभागीय परिवहन कार्यालय, सहारनपुर	25.58	12.79	12.79
2	संभागीय परिवहन कार्यालय, गाजियाबाद	33.01	16.50	16.50
3	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बाराबंकी	11.53	5.76	5.77
	योग -	70.12	35.05	35.06

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में आयोजनागत पक्ष में "लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1344/30-3-13-24बी/2012, दिनॉक 21-06-2013 में निहित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-13/112(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर, गाजियाबाद एवं बाराबंकी (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।)
5- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम) द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in